समाहरणालय, पूर्णियाँ
(जिला निर्वाचन प्रशाखा)
पत्रांक–........... / जि0नि0

प्रेषक :-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पूर्णियाँ, दिनांक-.............

विषय :- आसन्न बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला मुख्यालय स्थित ई0वी0एम0 गोदाम में सी0सी0टी0वी0 कैमरा क्रय करने हेतु दर निर्धारण के लिये निविदा सं0-03/2015-16 का निविदा का प्रकाशन करने के संबंध में ।

प्रसंग :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, बिहार पटना के पत्रांक-बी0-109-102 (0001)/2015-19/आ0, पटना दिनांक-10 जुलाई 2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में आसन्न बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान वित्तीय वर्ष-2015-16 में जिला मुख्यालय स्थित ई0वी0एम0 गोदाम में सी0सी0टी0वी0 कैमरा क्रय करने हेतु दर निर्धारण के लिये निविदा सं0-03/2015-16 का निविदा सूचना की 05 प्रतियाँ एवं सी0डी0 सहित दो प्रमुख सामाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त अल्पकालीन निविदा को 02 प्रमुख सामाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :–
यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।

ज्ञापांक :- 230/जि0नि0, पूर्णियाँ, दिनांक :-10.08.2015

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पूर्णियाँ/नगर पंचायत, कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- नजारत उप समार्त्ता, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित एवं निदेशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से दो दैनिक प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, साथही प्रकाशित निविदा का पेपर कटिंग जिला निर्वाचन प्रशाखा, पूर्णियाँ को ससमय उपलब्ध करावें ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), पूर्णियाँ/आई0टी0 मैनेजर, पूर्णियाँ को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश है कि निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु जिला के बेवसाईट पर भी प्रकाशित करावें ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला निर्वाचन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या–03/2015–16

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक–बी0–109–102 (0001)/2015–19/आ0, पटना दिनांक–10 जुलाई 2015 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में आसन्न बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान वित्तीय वर्ष–2015–16 में जिला मुख्यालय स्थित ई0वी0एम0 गोदाम में सी0सी0टी0वी0 कैमरा क्रय करने हेतु दर निर्धारण के लिये निविदा आमंत्रित किये जाते है। दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति के लिये इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :–

- निविदादाताओं को मो0–10000/–(दस हजार) मात्र रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जिला निर्वाचन शाखा, पूर्णियाँ में जमा करना होगा, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पदनाम से देय होगा। उक्त राशि का नाजीर रसीद देय होगा। निविदा प्राप्ति की **तिथि 26.08.2015 के अपराह्न 2.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी,** जिसमें स्वयं निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निविदा की आवश्यक शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में ली जायेगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर/TIN नम्बर/अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र/दूकान की अनुज्ञप्ति/अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र वाले निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति में प्राथमिक्ता दी जाएगी।
6. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
7. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
8. सामग्रियों की आपूर्त्ति पहले मुख्यालय में करनी होगी तथा आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता के जॉचोंपरान्त आवश्यकतानुसार आपूर्त्ति ली जायेगी। इसके लिये आपूर्त्तिकर्त्ता को परिवहन भत्ता देय नही होगी।
9. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि सामग्रियों के नमूने के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगें। बिना नमूने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों कि आपूर्त्ति निश्चित रूप से कर देगे,

अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरूद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी तथा उन्हें काली सूची में डाला जायेगा।

10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्त्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
11. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा
12. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
13. निविदा संबंधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये जिला निर्वाचन प्रशाखा, पूर्णियाँ जिला से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट **http://purnea.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।
14. आपूर्त्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट/आयकर की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।
15. आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात् अनुमान्य बिक्रीकर, आयकर एवं अन्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह–
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ।